प्रेस के लिए सूचना नोट
(प्रेस विज्ञप्ति सं. 68/ 2026)

तत्काल प्रकाशन हेतु

"दूरसंचार उपभोक्ता शिकायत निवारण (चौथा संशोधन) विनियम, 2026 के मसौदे पर टिप्पणियां प्राप्त करने की अंतिम तिथि का विस्तार"।

नई दिल्ली, 4 जून, 2026: भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने हितधारकों से टिप्पणियां आमंत्रित करने के लिए 7 मई, 2026 को भादूविप्रा की वेबसाइट पर दूरसंचार उपभोक्ता शिकायत निवारण (चौथा संशोधन) विनियम, 2026 का मसौदा जारी किया था। मसौदा विनियमों पर टिप्पणियां प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 5 जून, 2026 निर्धारित की गई थी।

2. टिप्पणियां प्रस्तुत करने की समय-सीमा बढ़ाने के लिए हितधारकों और उनके संघों से प्राप्त अनुरोधों को ध्यान में रखते हुए, मसौदा संशोधन पर लिखित टिप्पणियां प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि **12 जून, 2026 तक** बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा, कुछ हितधारकों के अनुरोध के आधार पर , प्राप्त टिप्पणियों पर प्रति टिप्पणियां भी प्रस्तुत की जा सकती हैं। प्रति-टिप्पणियां प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि **19 जून, 2026 है।**

3. मसौदा संशोधन पर टिप्पणियां और प्रति-टिप्पणियां, यदि कोई हों, ईमेल आईडी adv.ca@trai.gov.in पर इलेक्ट्रॉनिक रूप में भेजी जा सकती हैं । किसी भी स्पष्टीकरण या अतिरिक्त जानकारी के लिए, श्री विवेक खरे, सलाहकार (सीए) से उपरोक्त ईमेल पते पर या दूरभाष संख्या +91-11-20907772 पर संपर्क किया जा सकता है।

अतुल चौधरी 4/6/26

(अतुल कुमार चौधरी)
सचिव, भादूविप्रा